

फर्द अहकाम

चन्द्रवीर सिंह बनाम नानूराम वर्मा

नाम न्यायालय

केस संख्या 154/16

पत्थरगाड़ी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06/01/20	<p>व.प.र. अफ. / दोष अपावोगन वापस ताबकी अनुषासिता / अतः इनके फिरोज व पकिअ क्रमिकी अत्रल में लगी जाती है। उनमपनकारक के अधिवसागत की वस्तु सुरी गमी तथा डाकी में उठ पत्र रमें आरक न केरा मिया है कि वाके गुप्त मसम्मा पत्वार हला मसम्मा अ. म. नि. सासोद तह. चौक के हल खाता संख्या 48 के हल खसरा नंबर 65 कुल मित 33 का कुल रकबा 14.02 है अतः मित है। डाकी के उर असापीमात में ये ख. न. 65, 66, 68, 946, 1167/1689, 1108/1691, 1111 नगा. 1114, 1117 नगा. 1121, 1135/1486, 1139, 1154 नगा. 1158, 1166, 1175, 1176/1690 का सीमागत सीमात तक्षीनकार मरुद, चौक के आदेरा उमांड / सीमा / 281-2818 दिनांक 18/06/14 की अनुपपत्ता में दिनांक 01/07/16 के मिया जा उठा है। डाकी उर असापीमात का खातेदार अशकत है। डाकी उर सीमागत दिनांक 01/07/14 के आधार पर उर खसरा नम्बरान की पत्थरगाड़ी करवाना चाहे है जिसके क्रियेण में कोई विवाद नही रहे तथा निमनानुसार क्रियेण ले लें।</p>	

उपरोक्त अधिकारी
 चामु जिला जयपुर

फर्द अहकाम

पंडवीर सिंह बनाम नानूराम काँटे

नाम न्यायालय
केस संख्या 154/16

पल्परगढी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>आज्ञा आदेशों का प्रथम शपथ का प्रस्ताव कर निकाल दिया है कि आदेशों का शठ का स्वीकार किया जाकर सीमांतान किनाड़े 01/07/14 के अनुसार शठ का प्र 1980 विवादित भाषीयात की पल्परगढी किसे जैसे लष्क अडावीगढी संख्या 1 लख 63 को पल्परगढी दौरान ही मदाहरनात आ महाधर्म न करे हेतु वाक्य किसे जाने के ह्या से।</p> <p>उमयपतनप्रान के अधिकारियों की वक्ष कुनी गरी। पत्राक्षी का अन्वेषन किया गया आदेशों आदेशों किसे के किसे स्वतोदा करवात है। निम्नानुसार प्रत्येक स्वतोदा की अपनी स्वतोदारी अथवा की पल्परगढी उपाने का 3 अनुन अधिकार प्राप्त है। आदेशों द्वारा अपनी स्वतोदारी अथवा का सीमांतान राक्षीनदात नोड के आदेश से किनाडे 01/07/14 के पल्परगढी हला उरा इखाया जा चुका है। निम्नानु आदेशों का शठ का पल्परगढी स्वीकार किया जाना उचित उचित होता है। आज्ञा आदेशों का शठ का वाक्य पल्परगढी का स्वीकार किया जाकर राक्षीनदात नोड</p>

पल्परगढी
जिला

न्यायालय
संख्या 154/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>को 3 न्याय नोड दि</p>

फर्द
पंडवीर सिंह


फर्द अहकाम

पंडवीरलाल खनाम नानूराम अह

नाम न्यायालय

केस संख्या 154/16

पत्थरवादी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी व्यापारिक का स्वयंसेवक आदेश नहीं है तो उसे पद प्रदान नहीं है तो सीमांत दिनांक 01/07/19 के अनुसार उन्नतपत्रों को प्रेषित करते हुए पत्थरवादी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तद्विषय जारी है। फनाबली जेल से आदेश रोक कर फर्द अहकाम से हम से तथा साक्षी फर्द ले।</p> <p style="text-align: center;">  खण्ड जिला जयपुर </p>	

